झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सिविल रिट याचिका संख्या 5984/2023

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक कंपनी जो कंपनियों के अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित की गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस के तहत बैंकिंग व्यवसाय कर रही है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), डाकघर और थाना लोअर परेल, मुंबई शहर (महाराष्ट्र) 400013 में स्थित है और जिसकी एक शाखा अन्य स्थानों के बीच एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, 105, एसएनपी क्षेत्र, सकची, डाकघर और थाना सकची, जमशेदपुर 831001 में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके उचित रूप से अधिकृत प्रतिनिधि सौभद्र डे द्वारा किया जा रहा है, जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता श्री एस.के. डे, वर्तमान में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में "सीनियर मैनेजर" के रूप में कार्यरत हैं और जो एसएआरएफइएसआइ(सरफेसी) अधिनियम, 2002 के तहत अधिकृत अधिकारी के रूप में उचित रूप से नामित हैं, जिसका कार्यालय विशेष संचालन विभाग, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जार्डिन हाउस, 1st फ्लोर, 4, क्लाइव रो, डाकघर जी.पी.ओ., थाना हरे स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700001 में स्थित है

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) के माध्यम से, तीसरी मंजिल, जीवन दीप भवन, डाकघर और थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
2. ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची अपने पंजीयक के माध्यम से, जिसका कार्यालय 5वीं मंजिल, आर.आर.डी.ए. भवन, कचहरी चौक, डाकघर जी.पी.ओ, थाना मेन रोड, जिला रांची (झारखंड) 834001
3. मेसर्स संदीप इंडस्ट्रीज, एक साझेदारी फर्म, अपने एक भागीदार रितु कपिला के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय टाटा कांद्रा रोड, औद्योगिक क्षेत्र, आदित्यपुर, जमशेदपुर, डाकघर और थाना आदित्यपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, (झारखंड) 831013
4. रितु कपिला, पति स्वर्गीय संजीव कपिला;
5. सूरज कपिला, पिता स्वर्गीय संजीव कपिला;
6. सनिल कपिला, पिता स्वर्गीय संजीव कपिला;

प्रत्यर्थी संख्या 4 से 6, निवासी 31/बी, सर्किट हाउस एरिया, डाकघर और थाना-बिस्टुपुर, जिला बिस्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर (झारखंड) 831001

7. मैसर्स हॉन्गकॉन्ग, एक साझेदारी फर्म, अपनी एक भागीदार श्रीमती रितु कपिला के माध्यम से, 94 कॉन्ट्रैक्टर एरिया, डाकघर और थाना बिस्टुपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड 831001 में पंजीकृत कार्यालय

... विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिएः श्री आशीष झा, अधिवक्ता
श्री कुमार निश्चय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी भारतीय संघ के लिए: श्री अनिल कुमार, भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता
श्री रवि प्रकाश, सी.जी.सी

<u>प्रस्तुत</u>

<u>माननीय न्यायधीश श्री अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक प्रार्थना के साथ दायर की गई है:
(क) ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची के अध्यक्ष अधिकारी को एक उपयुक्त वाद (वादों)/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, ताकि लंबित मूल आवेदन संख्या 734/2016 को निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्रता से निपटाया जा सके, जो कि ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 24 के अनुसार हो।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरदाता संख्या 3 ने याचिकाकर्ता बैंक के साथ कार्यशील पूंजी/क्रेडिट सुविधाओं की स्वीकृति के लिए एक समझौते में प्रवेश किया। यह राशि उत्तरदाता संख्या 7 द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में गारंटी प्रदान करने पर वितरित की गई। ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, उत्तरदाता संख्या 3 ने अपने पूर्व साझेदार के माध्यम से चार संपत्तियों का समकक्ष बंधक बनाया। उत्तरदाता संख्या 3 और उसके साझेदारों ने स्टॉक, बुक डेब्ट और अन्य वर्तमान संपत्तियों को गिरवी रखा। उत्तरदाता संख्या 3 ने भुगतान करने में चूक की। खाता असामान्य हो गया और इसे 28.02.2016 को गैर-निष्पादित संपत्ति (Non Performing Asset) के रूप में वर्गीकृत किया गया। याचिकाकर्ता, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय संपत्तियों के परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही शुरू की और उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसमें ₹21,69,51,022.60 (2016 के अनुसार गणना की गई) का दावा किया गया। याचिकाकर्ता ने 03.08.2016 को उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 19 (1) के तहत उक्त राशि की वसूली के लिए मूल आवेदन संख्या 734/2016 के माध्यम से एक आवेदन भी दायर किया। उक्त मूल आवेदन की लंबित स्थिति के दौरान, याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता संख्या 4, अर्थात् मेसर्स ओम सूट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित शेयरों की अटैचमेंट के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर किया और अन्य अंतरिम आवेदनों में उत्तरदाता संख्या 7 द्वारा किए गए व्यवसाय से उत्पन्न लाभ की पुस्तकों की सूची बनाने के लिए रिसीवर/अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का अनुरोध किया गया। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने अंतरिम आवेदन संख्या 254/2021 में संपत्तियों की सूची तैयार करने और एक महीने के लिए बिक्री आय को ध्यान में रखने के लिए एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की। स्थानीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उत्तरदाता संख्या 3 से 7 ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष बार-बार स्थगन ले रहे हैं, यह कहते हुए कि वे नए निपटान प्रस्ताव के साथ आ रहे हैं, लेकिन यह उनकी ओर से मामले को लटकाने और याचिकाकर्ता द्वारा उसकी वैध बकाया राशि वसूलने के लिए उठाए गए कदमों को विफल करने का एक धोखाधड़ी प्रयास है। याचिकाकर्ता ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष विविध आवेदन डायरी संख्या 132/2022 के माध्यम से ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह मूल आवेदन संख्या 734/2016 का निपटारा समय सीमा के भीतर करे, जैसा कि ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद द्वारा निर्धारित किया गया था। ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 27.04.2022 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची को निर्देश दिया कि वह मूल आवेदन संख्या 734 of 2016 का निर्णय सबसे शीघ्रता से करे, अधिमानतः तीन महीने के भीतर उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से। लेकिन तब भी उक्त मूल आवेदन संख्या 734/2016 का निर्णय नहीं किया गया है और उधारकर्ताओं ने एक या दूसरे बहाने से मामले में देरी करने में सफलता प्राप्त की है।

4. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 19 (24) में यह परिकल्पित किया गया है कि न्यायाधिकरण के समक्ष धारा 19 (1) या 19 (2) के तहत किए गए आवेदन को शीघ्रता से निपटाया जाएगा और कार्यवाही को दो सुनवाईयों में पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा तथा आवेदन का अंतिम निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता जनता के धन का संरक्षक है और उसने ऋण वसूली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया है, जो कि एन.पी.ए. खाते से डिफॉल्टेड ऋण की वसूली के लिए है, लेकिन मूल आवेदन संख्या 734/2016 की लंबित स्थिति के कारण, याचिकाकर्ता अपने बकाया धन की वसूली करने में असमर्थ रहा है, जो कि उत्तरदाता संख्या 3 से 7 द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा सार्वजनिक धन है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की उक्त प्रार्थना को अनुमति दी जाए।

5. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने, जिन्हें केंद्रीय सरकार के अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गई, प्रस्तुत किया कि 16.01.2023 को मामला संबंधित एस. ए संख्या 02/2018 के साथ जोड़ा गया और पक्षों ने उक्त एस. ए संख्या 02/2018 का निपटारा करने की इच्छा व्यक्त की। इस संबंध में समझौते की बातचीत हुई, लेकिन अंततः 04.08.2023 के आदेश के माध्यम से यह देखा गया कि यदि पक्ष 15.09.2023 तक मामले का निपटारा करने में असफल रहते हैं, तो मामला निपटारा किया जाएगा। तर्कों को आंशिक रूप से सुना गया और उक्त एस. ए संख्या 02/2018 और मूल आवेदन संख्या 734/2016 को अलग किया गया। 07.03.2022 को, मृत प्रतिवादी संख्या 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इन्हें कभी भी एकत्रित नहीं किया गया और न ही सेवा की गई। न्यायाधिकरण ने 10.11.2023 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता बैंक से मृत प्रतिवादी संख्या 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों को सेवा देने को कहा, जिसे अभी तक पूरा करना बाकी है।

6. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता ने मूल आवेदन संख्या 734/2016 में 18.10.2023 को पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की और बताया कि उक्त आदेश का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि लिखित बयान दायर किया गया है और मृत प्रतिवादी संख्या 2 के प्रतिस्थापित कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए अधिवक्ता ने लिखित बयान दायर करने के लिए समय की प्रार्थना की, जिसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने दो सप्ताह का समय दिया। मामला अंतिम बार 10.11.2023 के लिए निर्धारित किया गया था।

7. बार में की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, 1993 के ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम की धारा 19 (24) का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:

> *"(24) न्यायाधिकरण के समक्ष उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत किया गया आवेदन इसे यथाशीघ्र निपटाया जाएगा और इसे दो सुनवाईयों में कार्यवाही को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, तथा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम निपटारा किया जाएगा।*

8. यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि मूल आवेदन संख्या 734/2016 के निपटारे के लिए निर्धारित समय से अधिक देरी हुई है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति बकाया ऋणों के शीघ्र निर्णय और वसूली के लिए लागू किया गया था। इसलिए, कार्यवाही को दो सुनवाईयों में पूरा करने और आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा करने के प्रावधान बनाए गए थे, लेकिन निर्विवाद रूप से ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची ने उक्त

निर्धारित समय का पालन करने में विफलता दिखाई है। ऐसे परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें उत्तरदाता संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वह लंबित मूल आवेदन संख्या 734/2016 का निपटारा शीघ्रता से करे और इस आदेश की प्राप्ति/उत्पादन की तिथि से एक महीने के भीतर करे।

9. अतः, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, रांची के अध्यक्ष अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे लंबित मूल आवेदन संख्या 734/2016 का निपटारा शीघ्रता से करें और इस आदेश की प्राप्ति/उत्पादन की तिथि से एक महीने के भीतर करें।

10. परिणामस्वरूप, अतः, यह रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

11. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता लागत जमा करेगा और तत्काल आदेश को फैक्स द्वारा संप्रेषित किया जाए।

12. याचिका स्वीकार्य है |

13. आवश्यक लागत जमा करने पर, यह आदेश उत्तरदाता संख्या 2 को फैक्स द्वारा संप्रेषित किया जाए।

(श्री अनिल कुमार चौधरी, न्यायधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 19 दिसंबर 2023
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|